

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

पत्रांक-1/PMC/Nadi Jod/2/2007-Part-I-

/पटना, दिनांक

दिनांक 07.11.2013 को बिहार - झारखण्ड के बीच सम्पन्न सचिव स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि धनारजै जलाशय योजना में Storage System का concept हटा कर फुलवरिया जलाशय से लिंकिंग हेतु झारखण्ड राज्य में सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न कर योजना तैयार किया जाय, ताकि डूब क्षेत्र कम से कम हो । इस संबंध में विचार हेतु विभागीय स्तर पर एक समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है :-

1. अभियन्ता प्रमुख (म0), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्ष
2. मुख्य अभियन्ता, जल विज्ञान, योजना एवं आयोजन, पटना - सदस्य
3. मुख्य अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना - सदस्य
4. अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल संख्या-3 - सदस्य
5. संयुक्त निदेशक, जल विज्ञान निदेशालय, अनिसाबाद, पटना - सदस्य
6. अधीक्षण अभियन्ता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल संख्या-4 - सदस्य-सचिव
7. एल्गोरिदथम कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) प्रा0 लि0
धनारजै जलाशय योजना के परामर्शी से संबंधित - विशेष आमंत्रित सदस्य

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा । समिति से प्राप्त अनुशंसा पर विभागीय सहमति के पश्चात ही झारखण्ड सरकार से योजना के स्वरूप पर सैद्धांतिक सहमति प्राप्त की जायगी एवं तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।


ह0/-

संयुक्त सचिव (अभि0)
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक- 297

/पटना, दिनांक- 20/6/2014

प्रतिलिपि समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


20/6/2014

संयुक्त सचिव (अभि0)
जल संसाधन विभाग